रबी महाअभियान प्रशिक्षण में उन्नत बीज, संतुलित उर्वरक प्रबंधन

आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी, वैज्ञानिक खेती से बढ़ेगा उत्पादन

कुरसेला (कटिहार) आससे। प्रखंड कृषि कार्यालय के छोटे से प्रशाल में गुरुवार को वासंतिक (रबी) महाभियान के तहत प्रखंडस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया किया गया। इसमें किसानों को रबी फसलों की वैज्ञानिक खेती, उन्नत बीजों के उपयोग, संतुलित उर्वरक प्रबंधन और फसल उत्पादन बढ़ाने के उपायों की जानकारी दी गई। वहीं, प्रशिक्षण के दौरान किसानों ने उर्वरक और कीटनाशकों की कीमतों तथा उनकी उपलब्धता का मुद्दा उठाते हुए डीएपी की मनमानी कीमत पर अंकुश लगाने की मांग की।प्रखंड कृषि पदाधिकारी पिंटू कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को आधुनिक तकनीकों को अपनाकर खेती को अधिक लाभकारी बनाने के बारे में बताया। प्रखंड उद्यान पदाधिकारी अंशु कुमार ने किसानों को उद्यानिक फसलों की खेती, उनके बेहतर प्रबंधन और संभावनाओं की जानकारी दी। वहीं, कृषि समन्वयक रवि रंजन गौतम ने आधुनिक कृषि



तकनीकों, फसल प्रबंधन और कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया।

प्रशिक्षण के दौरान किसानों को खेती में वैज्ञानिक पद्धति अपनाने, उन्नत किस्म के बीजों का इस्तेमाल करने और जरूरत के अनुसार उर्वरकों का संतुलित उपयोग करने की सलाह दी गई। कृषि विशेषज्ञों ने कहा कि फसलों की उचित देखभाल और सही तकनीक के इस्तेमाल से उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। खेती के दौरान किसी प्रकार की समस्या आने पर किसानों को कृषि विशेषज्ञों से सलाह लेने के लिए भी प्रेरित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान किसानों ने खाद और कीटनाशकों की कीमतों में मनमानी तथा उनकी उपलब्धता से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। विशेष रूप से डीएपी की कीमतों पर नियंत्रण रखने की मांग की गई। किसानों का कहना था कि खेती की लागत लगातार महत्वपूर्ण मुद्दा बनी हुई है। ऐसे में उर्वरकों की उचित कीमत पर उपलब्धता सुनिश्चित करना जरूरी है, ताकि किसानों को आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।कार्यक्रम में किसान सलाहकार विनीत रमन और मांगन कुमार यादव सहित प्रखंड के सभी किसान सलाहकार उपस्थित रहे। वहीं किसानों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों में पूर्व जिला पार्षद गोपाल यादव, किसान श्री सम्मानित एवं पूर्व प्रखंड प्रमुख अरुण मंडल, पूर्व मुखिया लाल बहादुर मंडल, मनोज कुमार सिंह, अरुण साह, जगन्नाथ मंडल और तारणी पासवान सहित सैकड़ों किसान मौजूद थे।

लोहे की रॉड से तीन टुकड़ों में कटी दो वर्षीय मासूम की पलक

नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. मशीह ने सफल सर्जरी कर बचायी आंख

पूर्णिया (आससे)। चिकित्सा जगत में अपनी कुशलता और तत्परता के लिए जाने जाने वाले प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. मशीह ने एक बार फिर अपनी बेहतरीन सर्जिकल दक्षता का परिचय दिया है। हाल ही में हरदा निवासी मसकु आलम एक दर्दनाक दुर्घटना का शिकार हुई दो साल की एक मासूम बच्ची की आंख की बेहद गंभीर चोट का उन्होंने सफल ऑपरेशन कर एक मिसाल पेश की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, एक दुर्घटना के दौरान लोहे की रॉड लगने से बच्ची की आंख की पलक गंभीर रूप से कटकर तीन अलग-अलग टुकड़ों में बंट गई थी। इस तरह की चोट को चिकित्सकीय भाषा में लेसिरेटेड लिड टियर कहा जाता है, जो कि अत्यंत संवेदनशील और जटिल मामला होता है।

घटना के बाद घबराए हुए परिजन तुरंत बच्ची को लेकर नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. मशीह के पास पहुंचे। मामले की गंभीरता को भांपते हुए डॉ. मशीह ने बिना एक पल गंवाए तुरंत सर्जिकल प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया। दो साल के छोटे बच्चे की आंख के बेहद नाजुक ऊतकों और मांसपेशियों पर इस प्रकार की रिकवरी सर्जरी करना अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य माना जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी भी त्रुटि से बच्चे की दृष्टि हमेशा के लिए प्रभावित हो सकती है। हालांकि, डॉ. मशीह ने अपने लंबे अनुभव और उच्च स्तर की विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए पलक के तीनों कटे हुए हिस्सों को बेहद सूक्ष्मता और सटीकता के साथ आपस में सिलाई कर जोड़ा। सफल ऑपरेशन के बाद अब बच्ची की सेहत में तेजी से सुधार दर्ज किया जा रहा है और उसकी आंख पूरी तरह से सुरक्षित है।

Govt. of Bihar

DISTRICT PROGRAMME MANAGEMENT UNIT (DPMU) DARBHANGA
STATE SOCIETY FOR ULTRA POOR & SOCIAL WELFARE (SSUPSW) , SAKSHAM,
DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE, GOVERNMENT OF BIHAR,
Social Security Cell, Collectorate Darbhanga, Bihar- 846001 &Saksham DPMU cum Buniyad, Bahadurpur Block Campus, Beside FCI Godown Darbhanga-846002
Phone No:- 06272-244645, E-mail: darbhangasaksham@gmail.com

SHORT TERM TENDER

SOCIAL SECURITY CELL, COLLECTORATE DARBHANGA invites sealed tenders from reputed Organisations/Agencies for Supply of Manpower to run "Male Beggars Rehabilitation Home" in DARBHANGA under MukhyamantriVikshavritiNivaran Yojna (MBNY)

The interested Organisations/ Agencies may submit their Technical and Financial bid in prescribed format in separate sealed cover. The required manpower services, bid document, terms and conditions, format for technical and financial bid for participating in the bid are available at DPMU (SAKSHAM), DARBHANGA, District Social Security Cell, Darbhanga, **www.ssupsw.in**and on www.darbhanga.nic.in
The other important details are as follows:

S. N	PARTICULARS	DETAILS
1.	Availability of Tender documents in District Social Security Cell, Collectorate Darbhanga &DPMU (Saksham), Darbhanga andonline website**www.ssupsw.in** and on **www.darbhanga.nic.in**	From 03/11/2026 To 26/11/2026 till 05:00PM
2.	Last Date and Time for receipt of sealed Tender offers	26/11/2026 till 5:00PM
3.	Date & time of opening of bid	28/11/2026 at 12:30PM
4.	Earnest Money Deposit (EMD)	Rs. 20,000/-

The District Social Security Cell, Collectorate Darbhanga, Bihar- 846001will reserve right to cancel this tender or its process at any stage without assigning any reason.

The Technical Bid & Financial Bid should be sealed in two separate envelopes by mentioning the words "Technical Bid"/ "Financial Bid" on the respective covers specifically. These two envelopes should be contained in a single sealed envelope superscribed as "TENDER FOR SUPPLY OF MANPOWER" and should be submitted by Post/Courierlatest by26/11/2026 **till 5:00 PM** to DPMU –cum-Buniyad Kendra, Sadar, Bahadurpur Block Campus, Beside FCI Godown, Darbhanga, Bihar-846002, Phone No:- 06272-244645.

Assistant Director
Social Security Cell
-Cum-
District NodalOfficer, MBNY, DARBHANGA.

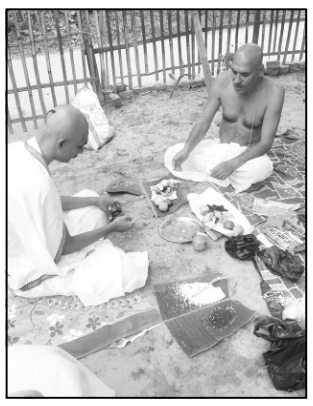
PR. No. 014340 (Welfare) 2026-27

This information is available on website **www.state.bihar.gov.in/prdbihar** also

गर्भावस्था की पहली तिमाही में माँ की एच.आई.वी. और सिफलिस की जाँच जरूर करायें।

प्रेम विवाह करना बेटी को पड़ा भारी, पिता और भाई ने किया जीवित बेटी का श्राद्ध

कदवा (कटिहार) आससे। कदवा थाना क्षेत्र के कंटिया पंचायत अंतर्गत निझरा गांव में प्रेम विवाह और श्राद्ध का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार निझरा गांव निवासी श्याम ठाकुर की पुत्री सैजल कुमारी ने बीते 23 अक्टूबर 2026 को पहलागढ़ पंचायत निवासी अजय पासवान के साथ प्रेम विवाह कर लिया। बताया जा रहा है कि अजय पासवान मुखिया प्रतिनिधि मुन्ना पासवान के पुत्र हैं।



बेटी के द्वारा दूसरी जाति के युवक से प्रेम विवाह करने के बाद परिजनों में गहरा आक्रोश है। इसके बाद पिता और भाई ने जीवित बेटी का ही श्राद्ध कर्म और पिंडदान कर दिया। परिजनों का कहना है कि जब समाज में उनकी प्रतिष्ठा ही नहीं बची, तो ऐसी बेटी का जीवित रहना या न रहना क्या मतलब है? हम लोगों के लिए वह मर चुकी है।यह घटना अब पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। एक तरफ जहां कुछ लोग इसे परिवार की सामाजिक मजबूरी बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कई लोग इसे आज के आधुनिक युग में भी जाति भेदभाव की मानसिकता का उदाहरण बता रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जिस बेटी को लार-प्यार से पाल-पोसकर बड़ा किया, उसके इस तरह चले जाने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। फिलहाल लड़की और लड़के के बारे में बताया जा रहा है कि दोनों बालिग हैं और अपनी मर्जी से विवाह किया है।

लघु नाटिका के माध्यम से छात्रों ने दिया कचरा प्रबंधन का संदेश

ई-कचरे के दुष्प्रभावों से कराया अवगत, स्वच्छ पर्यावरण का दिया संदेश

बनमनखी पूर्णिया (आससे)। उच्च माध्यमिक विद्यालय परिहारी, में इको क्लब फॉर लाइफ मिशन के अंतर्गत कचरा प्रबंधन विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्र-छात्राओं ने लघु नाटिका, कविता पाठ एवं भाषण के माध्यम से कचरे के उचित निस्तारण और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण कचरा प्रबंधन पर आधारित लघु नाटिका रही। इसके माध्यम से घरों से निकलने वाले विभिन्न प्रकार के कचरे को इधर-उधर फेंकने के बजाय अलग-अलग एकत्रित करने तथा उनका उचित निस्तारण करने के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। लघु नाटिका का निर्देशन शिक्षक रुपेश कुमार मंडल एवं अंबिका सोनी ने किया। इसमें वर्ग दशम की छात्रा अनुप्रिया एवं वर्ग नवम की छात्रा अंजली ने प्रभावशाली अभिनय किया। वहीं, निरुपमा, रुचि कुमारी एवं अरमान अंसारी ने भाषण के माध्यम से कचरा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के महत्व को रेखांकित किया।

इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक डॉ. तरुण सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि कचरा प्रबंधन प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। कचरे को घर से बाहर फेंक देने से हमारी जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती है। इसके लिए हमें 3क्रसिद्धांत—ऋ्रस्वह्लघ्द्र (कम उपयोग करना), ऋ्रह्लह्वाद्र (पुनः उपयोग करना) और ऋ्रध्यष्द्यद्र (पुनर्चक्रण करना) को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। वस्तुओं की खपत कम करके, उपयोगी वस्तुओं का दोबारा इस्तेमाल करके तथा कचरे से नई उपयोगी वस्तुएँ



बनाकर हम कचरे की मात्रा कम कर सकते हैं और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं।

उन्होंने विशेष रूप से ई-कचरे (इलेक्ट्रॉनिक कचरे) के खतरों की चर्चा करते हुए बताया कि पुराने मोबाइल, कंप्यूटर, बैटरी, चार्जर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को खुले में फेंकने या जलाने से मिट्टी, जल एवं वायु प्रदूषित हो सकते हैं। इनमें मौजूद सीसा, पारा और कैडमियम जैसे हानिकारक पदार्थ मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए ई-कचरे को सामान्य कचरे से अलग रखकर अधिकृत संग्रह केंद्रों अथवा स्वच्छता मित्र को सौंपना चाहिए, उन्होंने कबाड़ी वाले को भी स्वच्छता मित्र मानने की बात की जो हमारे सूखे और ई-कचरे को रिसाइकिल हेतु ले जाकर स्वच्छ पर्यावरण हेतु काम करते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि वे स्वयं जागरूक बनें और अपने परिवार एवं समाज को भी कचरा प्रबंधन के प्रति जागरूक करें।

कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के शिक्षक विकास कुमार, विमलेश रंजन, सुखवीर सिंह, रुपेश कुमार मंडल, अंबिका सोनी, समन्वय कुमार, सुधीर कुमार सहित अन्य शिक्षकों ने भरपूर सहयोग दिया। कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों ने यह संदेश दिया कि स्वच्छता केवल एक आदत नहीं, बल्कि स्वस्थ समाज और सुरक्षित पर्यावरण के निर्माण की बुनियादी आवश्यकता है। कचरे का सही प्रबंधन करके ही हम आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पर्यावरण दे सकते हैं।

जल संसाधन विभाग
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
सिंचाई प्रमंडल, जहानाबाद
निविदा आमंत्रण सूचना संख्या–04/2026-27

1. कार्य विवरणीः–

क्र० सं0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रू0 में)	अग्रधन की राशि(रू0 में)	परिमाण –विपत्र का मूल्य (अप्रत्यर्पणीय) (रू0 में)	कार्य समाप्ति की तिथि	स्थानीय अभिकर्त्ता के संबंधित जिला
01	सिंचाई प्रमंडल, जहानाबाद अंतर्गत कार्यालय भवन में रख–रखाव एवं Bathroom निर्माण कार्य।	4,63,933.00	9,300.00	750.00	02 माह	जहानाबाद

2. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता : कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, जहानाबाद।
3. निविदा विपत्र बिक्री की तिथि एवं समय : दिनांक 19.11.2026 से 20.11.2026 को कार्यालय अवधि तक।
4. निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय : दिनांक 23.11.2026 समय 03:00 बजे अपराह्न।
5. तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक 23.11.2026 समय 03.30 बजे अपराह्न।
6. परिमाण- विपत्र बिक्री का कार्यालय : 1) मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, नालंदा, बिहारशरीफ।
2) अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, नालंदा, बिहारशरीफ।
3) कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, जहानाबाद।
7. निविदा प्राप्ति का स्थान :क्रमांक 5 के सभी कार्यालयों में।
8. वित्तीय बीड खोलने की तिथि एवंसमय : सक्षम पदाधिकरी के आदेशानुसार तकनीकी बीड में सफल निविदादाता को सूचित किया जाएगा।
9. निविदा के नियमों, शर्तों एवं विशेश जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय सूचना पट्ट पर तथा निविदा प्रपत्र की बिक्री के स्थान पर सम्पर्क किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी के लिए https://state.bihar.gov.in/wrd/पर देखा जा सकता है।

विस्तृत जानकारी **www.state.bihar.gov.in/prdbihar** से प्राप्त की जा सकती है।

PR. No. 014362 (WRD) 2026-27

कार्यपालक अभियंता,
सिंचाई प्रमंडल, जहानाबाद
मो0–7463889886

नशे की मार, बर्बाद करे सुखी परिवार।

सुरक्षित बचपन अभियान से बच्चों को किया जा रहा जागरूक

किशनगंज। बच्चों को शोषण, हिंसा और सामाजिक कुरीतियों से बचाने तथा उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज की ओर से जिले भर में 'सुरक्षित बचपन अभियान' चलाया जा रहा है। अभियान के तहत चिह्नित विद्यालयों में प्रतिदिन विधिक जागरूकता शिविर आयोजित कर विद्यार्थियों को बाल संरक्षण कानूनों, बाल विवाह, बाल श्रम, पॉक्सो एक्ट और साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। यह अभियान 31 अक्टूबर 2026 तक जारी रहेगा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नम्रता तिवारी के निर्देशानुसार गुरुवार को केंद्रीय विद्यालय, किशनगंज में आयोजित जागरूकता शिविर में छात्र-छात्राओं को उनके अधिकारों और सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। न्यायिक पदाधिकारियों एवं प्राधिकार के प्रतिनिधियों ने सरल शब्दों में समझाया कि प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित वातावरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सामाजिक सम्मान तथा शोषण और हिंसा से मुक्त जीवन जीने का अधिकार है।

शिविर में बताया गया कि बच्चों के साथ होने वाला दुर्व्यवहार उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर गंभीर असर डालता है। इसलिए बाल अधिकारों की रक्षा करना केवल प्रशासन और कानून-व्यवस्था से जुड़े तंत्र की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज का दायित्व है। बाल विवाह और बाल श्रम जैसी कुप्रथाओं को रोकने के लिए



जागरूकता के साथ-साथ समय पर उचित कदम उठाना भी जरूरी है। वहीं, पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों और साइबर अपराधों से बचाव के उपायों की जानकारी देकर विद्यार्थियों को सतर्क रहने की सीख दी गई।

कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ओम शंकर, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सुनीता कुमारी, पैनल अधिवक्ता मधुकर प्रसाद गुप्ता, विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शिक्षकगण, संबंधित विभागों के रिसोर्स पर्सन और पारा विधिक स्वयंसेवक उपस्थित रहे। शिविर के अंत में विद्यार्थियों को बताया गया कि किसी बच्चे के साथ दुर्व्यवहार, शोषण अथवा अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त की जा सकती है। साथ ही, आपातकालीन परिस्थितियों में मदद के लिए महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी दी गई। अभियान का उद्देश्य बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना, असुरक्षित परिस्थितियों की पहचान करने में सक्षम करना और जरूरत पड़ने पर मदद मांगने के लिए प्रेरित करना है, ताकि हर बच्चे का बचपन सुरक्षित रह सके।

चीफ इंजीनियर ने काढ़ागोला रोड रेलवे स्टेशन में हो रहे निर्माण कार्य का किया निरीक्षण

बरारी (कटिहार) आससे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत काढ़ागोला रेलवे स्टेशन पर नये स्टेशन भवन के निर्माण कार्य का हाजीपुर जोन से पहुंचे रेलवे विभाग के चीफ इंजीनियर अख्तर अली ने औचक निरीक्षण किया।इस दौरान उन्होंने स्टेशन भवन के निर्माण में इस्तेमाल की जा रही सामग्री की गुणवत्ता की जांच की।साथ ही निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।निरीक्षण के दौरान चीफ इंजीनियर ने भवन निर्माण में उपयोग किए जा रहे सीमेंट बालू गिट्टी और लोहे की छड़ की गुणवत्ता की जांच की।इसके बाद उन्होंने निर्माणाधीन स्टेशन भवन के विभिन्न हिस्सों का बारीकी से निरीक्षण किया। निर्माण कार्य की स्थिति पर संतोष जताते हुए उन्होंने पूरी तरह पालन करने का निर्देश दिया।उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए और निर्धारित मानकों के अनुरूप काम पूरा किया जाना चाहिए।चीफ इंजीनियर अख्तर अली ने स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या एक पर यात्रियों की सुविधा के लिए बनाए गए शेड और बैठने के लिए लगाई गई कुर्सियों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं की स्थिति देखी और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।उन्होंने निर्माण कार्य में तेजी लाने के साथ गुणवत्ता बनाए रखने पर जोर दिया।ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत काढ़ागोला रेलवे स्टेशन के विकास कार्य से क्षेत्र के यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।निरीक्षण के दौरान रेलवे अधिकारियों ने निर्माण कार्य की स्थिति और यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। मौके पर सीनियर डीएनयू खान हफीज रेलवे के डिप्टी सीपीएन विवेकानंद भारती अविनाश कुमार आईएन शिव प्रकाश आईडब्ल्यू जीएस कमलेश कुमार सहित भोला सिंह बंटी चौधरी अमित कुमार राजकिशोर समेत रेलवे विभाग के दर्जनों अधिकारी मौजूद थे।

बिहार सरकार

कार्यालय :– कार्यपालक अभियंता,
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, प्रमंडल, पूर्णिया
E-mail ID:- fcdpurnea@gmail.com
अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या :– 02/2026–27
पत्रांक 2223

1. निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत करने की तिथि :– दिनांक 22.10.2026
2. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता :– कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, पूर्णिया।
3. परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि एवं समय :– दिनांक 31.10.2026 से दिनांक 05.11.2026 तक (कार्यालय कार्य अवधि में)
4. निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय :– दिनांक 06.11.2026 को अपराह्न 3:00 बजे तक।
5. तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय :– दिनांक 06.11.2026 को अपराह्न 3:30 बजे ।
6. परिमाण विपत्र की बिक्री एवं प्राप्ति का स्थान :– 1. कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, पूर्णिया।
2. अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अंचल, पूर्णियाँ।
3. मुख्य अभियंता,बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग कटिहार।
7. वित्तीय बीड खोलने की तिथि :– तिथि एवं समय बाद में निर्धारित किया जायेगा।
8. निविदा की वैधता की अवधि :– निविदा प्राप्ति के 120 दिन तक।
9. कार्य की विवरणी :–

ग्रुप सं0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख रू0 में)	अग्रधन की राशि (रू0 में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (अप्रत्यर्पणीय) (रू0 में)	कार्य समाप्ति की अवधि	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
01	कार्यालय/अन्य संबद्ध भवनों तथा परिसरों के वार्षिक संधारण हेतु ।	5.00844	10100.00	1250.00	15.01.2027	पूर्णिया जिला के स्थानीय अभिकर्त्ता हेतु
02	सहायक अभियंता तथा कनीय अभियंता के कार्यालय का त्रैवार्षिक रंगाई पोताई आदि हेतु।	3.28200	6600.00	750.00	15.01.2027	पूर्णिया जिला के स्थानीय अभिकर्त्ता हेतु

10. निविदा के नियमों, शर्तों एवं विशेश जानकारी के लिये अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में कार्य अवधि में अथवा मोबाईल संख्या 7463889220 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

कार्यपालक अभियंता,
बाढ़ नियंत्रण जल निस्सरण
प्रमंडल, पूर्णिया।
मोबाईल नं0:–7463889220

विस्तृत जानकारी **state.bihar.gov.in/prdbihar** से प्राप्त की जा सकती है।
PR. No.014259 (WRD) 2026-27

नशामुक्त हो जाए बिहार, सुरक्षित रहे घर परिवार।

चंडीगढ़ में मजदूरी करने गये कृष्णा उरांव की हार्ट अटैक से मौत

बनमनखी पूर्णिया (आससे)। पूर्णिया जिले के बी. कोठी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत औराही पंचायत के



रामबालक नगर, वार्ड संख्या 8 निवासी ललन उरांव के पुत्र कृष्णा उरांव की चंडीगढ़ में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस दुखद घटना के बाद पूरे टोले-मोहल्ले में शोक की लहर फैल गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, कृष्णा उरांव अपने पीछे पत्नी नंदनी देवी, दो बच्चों एवं परिवार को छोड़कर चंडीगढ़ की एक कंपनी में मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे थे। इसी दौरान अचानक उन्हें हार्ट अटैक आया। कंपनी की ओर से उन्हें तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। कृष्णा उरांव की मौत की खबर मिलते ही उनके परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों में मातम छा गया। परिवार के कमाऊ सदस्य के असमय निधन से पत्नी नंदनी देवी और दोनों बच्चों के सामने दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

घटना की सूचना मिलने पर पूर्व मुखिया कंतलाल ऋषि, समाजसेवी धीरज कुमार मंडल, समाजसेवी त्रिभुवन कुमार सहित कई जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। सभी ने शोक संतप्त परिवार से मिलकर अपनी संवेदना व्यक्त की तथा दिवंगत कृष्णा उरांव को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दुखद घटना से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। स्थानीय लोगों ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा शोकाकुल परिवार को इस कठिन समय में दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और शोकाकुल परिवार को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति दें।

सीएनजी टेंपो की चपेट में आने से महिला और बच्चा घायल, महिला रेफर

कुरसेला (कटिहार) आससे। थाना क्षेत्र के एस एच 77 स्टेशन रोड स्थित ट्रैक्टर शोरूम के समीप गुरुवार को तेज रफ्तार सीएनजी टेंपो की चपेट में आने से एक महिला और पांच वर्षीय बच्चा घायल हो गए। हादसे में महिला के सिर में गंभीर चोट लगी है। प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।जानकारी के अनुसार, सीएनजी टेंपो कुरसेला चौक से स्टेशन की ओर जा रहा था। इसी दौरान ट्रैक्टर शोरूम के समीप एक बच्चे को बचाने के प्रयास में टेंपो अनियंत्रित हो गया, जिसकी चपेट में आने से गुंजा देवी (48), पति अरुण मंडल, निवासी तीनघरिया तथा मनखुश कुमार (5), पिता लालबहादुर राय, निवासी मलिनिया, थाना कुरसेला, घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कुरसेला पहुंचाया गया। वहां चिकित्सकों ने दोनों का उपचार किया। गुंजा देवी के सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उनकी स्थिति को देखते हुए बेहतर चिकित्सा के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।

बिहार सरकार

समाहरणालय, नवादा
(मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग)
अल्पकालीन आम नीलामी सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नवादा जिलान्तर्गत विभिन्न थाना काण्डों/उत्पादवादों में राज्यसात किये गये निम्नलिखित वाहनों को बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 के सुसंगत प्रावधानों के तहत् आम नीलामी (Public Auction) क्रमशः दिनांक **13.11.2026, 20.11.2026, 26.11.2026** को समाहरणालय, नवादा में 11:00 बजे पूर्वाहन से की जायेगी। नीलामी योग्य वाहनों की सूची निम्नवत है :–

क्र. सं.	थाना का नाम	थाना काण्ड संख्या	वाहन का प्रकार	निबंधन संख्या	निबंधन का वर्ष	इंजन संख्या	चेचिस संख्या	मूल्यांकित राशि	अग्रधन की राशि	वाहन की अवस्थिति	वाहन मालिक का विवरणी
01	उत्पाद थाना, नवादा	86/25	WAGONR CAR	**MH02BD/ 9102**	**17-Dec-07**	F10DN442 6600	MA3EED81 S00602452	**35000.00**	**3500.00**	शराब डिपो	मेहरिन मोहम्मद फारूक दलखनिया, पिता– नारायण ठठेरा, ग्राम– वकोला पाईप लाईन नेहरू रोड, थाना– सांताक्रुज ई मुंबई, मुंबई, (महाराष्ट्र)– 400055

1. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों को विहित प्रपत्र में आवेदन, स्वअभिप्रमाणित आधार नंबर, पैन कार्ड की छायाप्रति, आचरण प्रमाण संबंधित शपथ पत्र एवं तालिका में वर्णित वाहनों के सामने अंकित अग्रधन की राशि का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा, जो Superintendent of Excise, Nawada के पद नाम से तथा Payable at SBI Nawada में देय होगा को क्रमशः दिनांक **06.11.2026, 18.11.2026, 24.11.2026** के अपo 04:00 बजे तक किसी कार्य दिवस को कार्यालय अधीक्षक मद्यनिषेध, नवादा में जमा करना होगा।
2. विशेष जानकारी के लिए कार्यालय अधीक्षक मद्य निषेध, नवादा से सम्पर्क किया जा सकता है nawada.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

विस्तृत जानकारी **state.bihar.gov.in/prdbihar** पर भी देखी जा सकती है।
PR- 014217 (EXCISE) 2026-27 **नशे की मार, बर्बाद करे सुखी परिवार।**

(कृते समाहर्त्ता, नवादा)
अधीक्षक मद्यनिषेध, नवादा।